भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1966

दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

तेलंगाना में कुपोषण

1966. श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मिशन वात्सल्य के अंतर्गत निजामाबाद सहित तेलंगाना के लिए विशिष्ट आंकड़ों के साथ महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किए गए बाल संरक्षण और कल्याण पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) निजामाबाद सहित तेलंगाना में पिछले तीन वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियां क्या हैं;

(ग) तेलंगाना में संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख सेटिंग्स में पहलों से लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है; और

(घ) तेलंगाना में कुपोषण में कमी और सुरक्षा में सुधार के संदर्भ में पाए गए परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): मिशन वात्सल्य एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) द्वारा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) के साथ-साथ कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने हेतु कियान्वित किया जाता है। इन सेवाओं में संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल शामिल हैं। केंद्र और राज्यों के बीच निधि साझाकरण पैटर्न सभी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 के अनुपात में है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों - हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू

और कश्मीर में लागत का बंटवारा 90:10 के अनुपात में है जबकि बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में 100% लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

सरकार देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को वैधानिक और सेवा प्रदायगी संरचनाओं का सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन वात्सल्य में बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) की स्थापना की परिकल्पना की गई है जो अन्य के साथ-साथ बच्चों को आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और पोषण प्रदान करते हैं।

यह योजना चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए आपातकालीन आउटरीच सेवाएं (24x7) भी प्रदान करती है। इसे गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112 (ईआरएसएस -112) हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित 24x7x365 महिला हेल्पलाइन-181 (डब्ल्यूएचएल-181) का भी क्रियान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, कानूनी सेवा प्राधिकरण इत्यादि जैसे उपयुक्त प्राधिकारियों से जोड़कर सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करना है। यह देश भर में महिला कल्याण की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के अलावा परामर्श सेवाओं के साथ संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता भी करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन पोषण 2.0 को क्रियान्वित कर रहा है जो बच्चों (06 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यूएंडएलएम) और किशोरियों (14 से 18 वर्ष) को पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के माध्यम से पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है।

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत तेलंगाना राज्य के लिए जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

2021-22		**2022-23**		**2023-24**	
राशि जारी	**उपयोग की गई राशि**	**राशि जारी**	**उपयोग की गई राशि**	**राशि जारी**	**उपयोग की गई राशि**
38.51	9.74	28.25	27.84	39.98	अभी तक उपलब्ध नहीं

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिलों को जारी की गई धनराशि की जानकारी केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

वित्त वर्ष 2023-24 में तेलंगाना में मिशन वात्सल्य योजना के तहत संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल के लिए समर्थित बच्चों की कुल संख्या क्रमशः 2243 और 4858 है।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) (2019-21) रिपोर्ट की तुलना में पोषण ट्रैकर (अक्टूबर 2024) के आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना राज्य में बच्चों (0-5 वर्ष) के लिए कुपोषण संकेतकों में सुधार का विवरण निम्नानुसार है:

एनएफएचएस-5 (2019-21)			**पोषण ट्रैकर (अक्टूबर, 2024)**		
बौनापन (%)	**दुबलापन (%)**	**अल्प-वजन (%)**	**बौनापन (%)**	**दुबलापन (%)**	**अल्प-वजन (%)**
33.1	21.7	31.8	32.6	5.6	16.2

*****